सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

29/10/24	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादीगणों ने यह वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - 88, 89 एवं

सहायक कलक्टर
जयपुर ... प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

किशनलाल बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा 15/2024 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		188. राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। वाद के चरण संख्या :-1 में उल्लेखित विवादित भूमि खसरा नम्बर-275. 276 ग्राम कालवाड़, तहसील - कालवाड़, जिला - जयपुर में वादीगणों ने इस आशय की दुरस्ती चाही है कि खसरा नम्बर-276 को गैर मुमकिन फील्ड के स्थान पर आबादी एवं खसरा नम्बर-275 को आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन फील्ड दर्ज किया जावे। वादी ने वाद के	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		समर्थन में, खसरा नम्बर - 275, ग्राम कालवाड़, तह० - कालवाड़, जिला - जयपुर की जमाबंदी संवत 2075-78 से स्थायी' पेश की है, जिसमें बतौर काश्तकार 'ग्राम पंचायत कालवाड़ हिस्सा - पूर्ण संस्था के लिए' दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर - 276, ग्राम कालवाड़, तह० - कालवाड़ जिला जयपुर की वादीगणों ने जो जमाबंदी संवत 2075-78 2078 से स्थायी' पेश की है, उसमें बतौर काश्तकार 'खेल का मैदान हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें भूमि वर्गीकरण में गैर-मुमकिन फील्ड अंकित है।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अंहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

किशनलाल बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा 151 2024 /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/10/24	वादीगणों ने यह वाद-पत्र धारा-88, 89 एवं 188 के तहत पेश किया है। वादीगणों की वाद में स्वयं स्वीकारोक्ति है कि विवादित भूमि पर न तो वादीगण खातेदार काश्तकार है और ना ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हैं, चूंकि धारा-88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल खातेदार-काश्तकार अथवा खातेदारी-काश्तकारी हेतु घोषणा चाहने वाला व्यक्ति ही वाद प्रस्तुत कर सकता है इसलिए वादीगणों को यह वाद प्रस्तुत	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

— बनाम —

मुकदमा संख्या/वर्ष : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		करने का कोई वाद- कारण सिद्ध नहीं है और ना ही कोई locus- standi साबित है। दूसरा, विवादित भूमि गैर-मुमकिन फील्ड एवं गैर-मुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है, इसलिए विवादित भूमि पर वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है. इस प्रकार वादी का वाद क्षेत्राधिकार से परे भी सिद्ध है। अतः धारा-151, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता में स्वप्रेरणा से वादीगणों का वाद सारहीन होने से	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अंहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

किशनलाल बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा: 15/2024 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/10/24	खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	